

सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखण्ड ।

18 DEC 2013

विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में डॉ० मोहम्मद मुबीन खान, पी०सी०एस० द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आवंटन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ० मोहम्मद मुबीन खान, पी०सी०एस० द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्तुत उनके प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । डॉ० मोहम्मद मुबीन खान, पी०सी०एस० अधिकारी के उत्तराखण्ड राज्य आवंटन के सन्दर्भ में समिति को अवगत करवाया गया कि राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के उत्तराखण्ड हेतु अन्तिम आवंटन के समय भारत सरकार द्वारा कुल 50 अधिकारियों का उत्तराखण्ड के लिये अन्तिम आवंटन उनके द्वारा न्यायालयों से स्थगनादेश प्राप्त करने के कारण लम्बित रखा गया था । डॉ० मोहम्मद मुबीन खान उनमें से एक हैं। इनके द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगनादेश रिक्त करवा लिया गया है, को दृष्टिगत रखते हुये इन्हें उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य आवंटन की संस्तुति समिति द्वारा की गयी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार डॉ० मोहम्मद मुबीन खान, पी०सी०एस० अधिकारी का अंतिम आवंटन उत्तराखण्ड के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून

